

उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ।

चतुर्थ/पंचम तल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001 E-Mail fshqup@gmail.com

पत्र संख्या:एसएस-1506-2015

दिनांक:लखनऊ:जुलाई 11, 2017

सेवा में,


श्री राघवेन्द्र कुमार द्विवेदी,  
राज्य रेडियो अधिकारी यूपी-100,  
आईटैक्स/यूपी-100,  
यू0पी0-100 भवन-7/13,  
गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ,  
लखनऊ।

विषय:- यू0पी0-100 परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी एस0ओ0पी0 इन्टीग्रेट कराये जाने संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-यूपी-100(एसओपी)/2017/1659, दिनांक 29.06.2017 एवं इस मुख्यालय के सम संख्यक पत्र दिनांक 27.06.2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रकरण में वॉछित सूचना प्रेषित की जा चुकी है।

2- अतएव आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 29.06.2017 में की गयी अपेक्षानुसार इन्टीग्रेट कराये जाने हेतु संशोधित एस0ओ0पी0 संलग्न कर आपके अतिरिक्तार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।  
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

  
(पी0के0 राव) 11/7  
निदेशक,  
फायर सर्विस, मुख्यालय, उ0प्र0,  
लखनऊ।

0/0

11/7/17  


## अग्निशमन सेवा के लिए स्थायी आदेश (SOP)

क. सं.	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	वाहन भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिकता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	घटना हेतु फायर सर्विस वाहनों की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर्स द्वारा की जाने वाली कार्यवाही	समाधान	अधिकारियों की सूची जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-	स्माल फायर	दो या तीन घरों की छोटी आग, कूड़ा करकट, खेत खलिहान, जंगल, झुग्गी झोपड़ी इत्यादि।	हाँ ✓ नहीं	उच्च सामान्य ✓	(अ) क्षेत्रीय अग्निशमन केन्द्र। (ब) क्षेत्रीय अग्निशमन अधिकारी।	एक फायर टेण्डर	N/A	टर्नआउट- 1-क्षेत्रीय अग्निशमन केन्द्र के प्रथम टर्नआउट के रूप एक फायर टेण्डर भेजा जायेगा। घटना स्थल पर अग्निशमन सेवा के अधिकारी द्वारा स्वयं के विवेक से यह निर्णय लिया जायेगा कि किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तदनुसार जनपद कन्ट्रोल रूम तथा अधिकारियों को सूचित करेगा।	सम्बन्धित अग्निशमन सेवा द्वारा	(अ) क्षेत्रीय अग्निशमन अधिकारी। (ब) मुख्य अग्निशमन अधिकारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
घटना प्रकार	घटना की प्रकृति	वाहन भेजा जाना अथवा नहीं है	प्राथमिकता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	घटना हेतु फायर सर्विस वाहनों की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पॉण्डर्स द्वारा की जाने वाली कार्यवाही	समाधान	अधिकारियों की सूची जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है	
2-	मीडियम फायर	1-विद्युत उपकरण, 2-छोटे/मध्यम/बड़े उद्योग, 3-भवन (रिहायशी, संस्थागत, सभागत, शैक्षणिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, भण्डारण, मल्टीप्लेक्स आदि) (एक मंजिल भवन) ऐसी आग जहां मनुष्यों के फँसे होने की संभावना है तथा मीडियम उद्योग, शैक्षणिक संस्थान, विद्युत से घरों में लगने वाली आगें, व्यावसायिक भण्डारण, गेस्ट हाउस इत्यादि।	हाँ√ नहीं	उच्च सामान्य √	(अ)क्षेत्रीय अग्निशमन केन्द्र। (ब)क्षेत्रीय अग्निशमन अधिकारी।	02 फायर टेण्डर	N/A	टर्नआउट- 1-क्षेत्रीय अग्निशमन केन्द्र के प्रथम टर्नआउट के रूप में 02 फायर टेण्डर भेजा जायेगा। घटना स्थल पर अग्निशमन सेवा के अधिकारी द्वारा स्वयं के विवेक से यह निर्णय लिया जायेगा कि किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तदनुसार जनपद कन्ट्रोल रूम तथा अधिकारियों को सूचित करेगा।	सम्बन्धित अग्निशमन सेवा द्वारा	(अ) क्षेत्रीय अग्निशमन अधिकारी। (ब) मुख्य अग्निशमन अधिकारी

क्र. सं.	घटना प्रकार	घटना की प्रकृति	वाहन भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिकता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	घटना हेतु फायर सर्विस वाहनों की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर्स द्वारा की जाने वाली कार्यवाही	समाधान	अधिकारियों की सूची जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही समय के साथ प्रेषित की जानी है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3-	मेजर फायर	(मनुष्य जीवन क्षति की संभावना अथवा महत्वपूर्ण भवन यथा सरकारी मुख्यालय/निदेशालय आदि में आगिकाण्ड)  1-विद्युत उपकरण, 2-ऊँचे/मध्यम/बड़े उद्योग, 3-महान् (रिहायशी, संस्थागत, सभागत, शैक्षणिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, भण्डारण, मल्टीप्लेडस आदि) (बहुमंजिला भवन)	हाँ ✓  नहीं	उच्चतम  उच्च ✓  मध्यम  सामान्य	(अ) क्षेत्रीय अग्निशमन केन्द्र। (ब) क्षेत्रीय अग्निशमन अधिकारी। (स) लिंक अग्निशमन अधिकारी। (द) मुख्य अग्निशमन अधिकारी। (इ) मण्डलीय उप निदेशक	02 फायर टेण्डर	N/A	टर्नआउट- 1-क्षेत्रीय अग्निशमन केन्द्र के प्रथम टर्नआउट के रूप में 02 फायर टेण्डर, हाइड्रोलिक प्लेटफार्म तथा वाटर बाउजर भेजा जायेगा। घटना स्थल पर अग्निशमन सेवा के अधिकारी द्वारा स्वयं के विवेक से यह निर्णय लिया जायेगा कि किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। संदर्भित जनपद कंट्रोल रूम तथा अधिकारियों को सूचित करेगा।	सम्बन्धित अग्निशमन सेवा द्वारा	(अ) क्षेत्रीय अग्निशमन अधिकारी। (ब) मुख्य अग्निशमन अधिकारी। (स) लिंक मुख्य अग्निशमन अधिकारी। (द) मण्डलीय उप निदेशक

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	वाहन भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिकता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	घटना हेतु फायर सर्विस वाहनों की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पॉन्डर्स द्वारा की जाने वाली कार्यवाही	समाधान	अधिकारियों की सूची जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही के साथ प्रेषित की जानी है	
4-	असाधारण दुर्घटना (विशिष्ट-3) सीरियस फायर	1-अग्नि दुर्घटना के साथ दो घण्टे से अधिक मनुष्य जीवन जोखिम की संभावना। 2-जनपदीय सीमा के बाहर आपदा प्रसार की संभावना। 3-महत्वपूर्ण स्थान यथा राजभवन एवं राजभवन, मुख्यमंत्री आवास/ सचिवालय में अग्नि दुर्घटना। 4-रिहायशी भवनों, इलेक्ट्रिक उपकरणों, आतिशबाजी के भण्डारणों में आग, बम बिस्फोट, भीड़ वाले जगहों पर इत्यादि।	हाँ/ नहीं	उच्च/ सामान्य	(अ) क्षेत्रीय अग्निशमन केन्द्र। (ब) क्षेत्रीय अग्निशमन अधिकारी। (स) जनपद के समस्त अग्निशमन केन्द्र (द) मुख्य अग्निशमन अधिकारी। (इ) लिंक मुख्य अग्निशमन अधिकारी (च) मण्डलीय उप निदेशक (छ) लिंक उप निदेशक (ज) फायर सर्विस मुख्यालय कन्ट्रोल रूम एवं संबंधित अधिकारी	1-प्रत्येक अग्निशमन केन्द्र से एक फायर टेण्डर 2-हल्का वाहन रेस्क्यू उपकरणों के साथ 3-उपलब्धता एवं आवश्यकता अनुसार वाटर बाउजर एवं हाईड्रोलिक प्लेटफार्म	N/A	टर्नआउट- 1-क्षेत्रीय अग्निशमन केन्द्र के प्रथम टर्नआउट के रूप में 02 फायर टेण्डर, वाटर बाउजर/फोम टेण्डर भेजा जायेगा। घटना स्थल पर अग्निशमन सेवा के अधिकारी द्वारा स्वयं के विवेक से यह निर्णय लिया जायेगा कि किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तदनुसार जनपद कन्ट्रोल रूम तथा अधिकारियों को सूचित करेगा।	सम्बन्धित अग्निशमन सेवा द्वारा	(अ) क्षेत्रीय अग्निशमन अधिकारी। (ब) मुख्य अग्निशमन अधिकारी (स) लिंक मुख्य अग्निशमन अधिकारी। (द) मण्डलीय उप निदेशक। (इ) लिंक उप निदेशक (च) फायर सर्विस मुख्यालय कन्ट्रोल रूम एवं संबंधित अधिकारी- (1) संयुक्त निदेशक (2) निदेशक (3) निदेशक द्वारा उच्चाधिकारियों को सूचित किया जायेगा

क.सं.	घटना का प्रकार	घटना प्रकृति की	वाहन भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिकता का स्तर	सूचित जाने वाले अधिकारी का नाम	किये जाने वाले कार्यों का नाम	घटना हेतु फायर सर्विस वाहनों की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पान्डर्स द्वारा की जाने वाली कार्यवाही	समाधान	अधिकारियों की सूची जिन्हें घटना पर कार्यवाही के साथ प्रेषित की जानी है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	जीव रक्षा-1 (साधारण जीवरक्षा)	1-छेटा बिल्डिंग कोलेप्स, 2-रोड, नौका, दुर्घटना 3-बाढ़, 4-गढ़वा, कुआ, तालाब में गिरने से	होँ ✓ नहीं	उच्च ✓ सामान्य	(अ) क्षेत्रीय अग्निशमन अधिकारी। (ब) जनपद के मुख्य अग्निशमन अधिकारी।	एक हल्का वाहन उपलब्ध रेस्क्यू उपकरण के साथ	N/A	टर्नआउट- 1-क्षेत्रीय अग्निशमन केन्द्र के प्रथम टर्नआउट के रूप एक फायर ट्रेण्डर अथवा रेस्क्यू उपकरणों के साथ वाहन भेजा जायेगा। घटना स्थल पर अग्निशमन सेवा के अधिकारी द्वारा स्वयं के विवेक से यह निर्णय लिया जायेगा कि किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तदनुसार जनपद कन्ट्रोल रूम तथा अधिकारियों का सूचित करेगा।	सम्बन्धित अग्निशमन सेवा द्वारा	अ) क्षेत्रीय अग्निशमन अधिकारी। (ब) जनपद के मुख्य अग्निशमन अधिकारी। (स) मण्डलीय उप निदेशक	

क.सं.	घटना का प्रकार	घटना प्रकृति	की वाहन भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिकता का स्तर	सूचित जाने अधिकारी का नाम	किये जाने वाले कार्यों का	घटना हेतु फायर सर्विस वाहनों की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर्स द्वारा की जाने वाली कार्यवाही	समाधान	अधिकारियों की सूची जिन्हें घटना पर कार्यवाही करनी होगी साथ प्रेषित की जानी है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	जीव रक्षा--2 (मेजर जीव रक्षा)	1-बड़ी बिल्डिंग लोलैप्स, 2-रोड, रेल, नौका, वायुयान दुर्घटना 3-बाढ़, 4-गढ़वा, कुआ, तालाब, बोरवेल आदि में गिरने से 5-गैस लीकेज, रेडियो धर्मी पदार्थ आदि) सं सम्बन्धी छोटी अग्नि दुर्घटना में फंसे मनुष्य की जीव रक्षा	हाँ नहीं	उच्च सामान्य	(अ) क्षेत्रीय अग्निशमन अधिकारी। (ब) जनपद के मुख्य अग्निशमन अधिकारी।	एक वाहन रेस्क्यू उपकरण के साथ	N/A	टर्नआउट-- 1-क्षेत्रीय अग्निशमन केन्द्र के प्रथम टर्नआउट के रूप में 02 फायर टेण्डर अथवा रेस्क्यू उपकरणों के साथ वाहन भेजा जायेगा। घटना स्थल पर अग्निशमन सेवा के अधिकारी द्वारा स्वयं के विवेक से यह निर्णय लिया जायेगा कि किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तदनुसार जनपद कन्ट्रोल रूम तथा अधिकारियों को सूचित करेगा।	सम्बन्धित अग्निशमन सेवा द्वारा	अ) क्षेत्रीय अग्निशमन अधिकारी। (ब) जनपद के मुख्य अग्निशमन अधिकारी। (स) मण्डलीय उप निदेशक	